

30/24

प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्राची व प्राची अधिवक्ता को एक-एक
कर 3 बार आवाज लगाई गई कोई
उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्रावना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA अधिनियम
अनुसार जारी है।
प्राची व प्राची अधिवक्ता को एक-एक
कर 3 बार आवाज लगाई गई कोई
उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्रावना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA अधिनियम
अनुसार जारी है।
प्राची व प्राची अधिवक्ता को एक-एक
कर 3 बार आवाज लगाई गई कोई
उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्रावना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA अधिनियम
अनुसार जारी है।



उपस्थित अधिवक्ता (राजस्व)
श्री करणपुर

